न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.

पीठासीन अधिकारी :– हुकमीचन्द रोहलानियाँ **(R.A.S.)**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 170/2022 (GCMS No. 2022/342)

प्रार्थी

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत आयु 71 वर्ष निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

1. उगम कंवर पत्नी भोपाल सिंह
2. रिछपाल सिंह पुत्र भोपाल सिंह
3. भंवर सिंह पुत्र भोपाल सिंह
4. कमोद कंवर पत्नी रणजीत सिंह
5. मोना कंवर पुत्री रणजीत सिंह
6. जगमाल सिंह पुत्र रणजीत सिंह
7. किशोर सिंह पुत्र हनुमान सिंह
8. उच्छब कंवर पत्नी प्रहलाद सिंह
9. राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
10. रविन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
11. जगदीश सिंह पुत्र हनुमान सिंह
12. श्रवण सिंह पुत्र हनुमान सिंह
13. सुवा कंवर पत्नी देवीसिंह
14. गोविन्द सिंह पुत्र देवीसिंह
15. भवानी सिंह पुत्र देवीसिंह
16. सज्जन कंवर पत्नी भीखसिंह
17. जितेन्द्र सिंह पुत्र भीखसिंह
18. राजेन्द्र सिंह पुत्र भीखसिंह
19. देव कंवर पत्नी सुमेर सिंह
20. बिजुसिंह पुत्र सुमेर सिंह
21. रसाल कंवर पत्नी हरिसिंह
22. धूड़सिंह पुत्र हरिसिंह
23. मगन सिंह पुत्र हरिसिंह
24. नन्दसिंह पुत्र मंगेज सिंह
25. राजश्री कंवर पत्नी भवानी सिंह
26. सज्जन कंवर पत्नी मंगेज सिंह अप्रांथी सं. 1ता 26 जाति समस्त राजपूत निवासीयान चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.
27. कमोद कंवर पत्नी चैनसिंह जाति राजपूत नि[illegible] ...ुर
28. उप पंजीकय कुचामनसिटी
29. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा आकदा
30. मैनेजर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.10.22 15:51:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

31. मैनेजर ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कुचामनसिटी
32. मैनेजर यूको बैंक शाखा पांचवा
33. मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कुचामनसिटी
34. पटवारी हल्का चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
35. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री रमेश चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं.7 की ओर से।
श्री सुधीर कौशिक अप्रार्थी सं. 8, 9, 10 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 07/08/2024

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम चावण्डिया के खसरा नम्बर 14 रकबा 2.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 38 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 39 रकबा 2.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 40 रकबा 2.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 41 रकबा 1.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 4.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 48 रकबा 4.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 3.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 77 रकबा 5.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 29.47 हैक्टर व खसरा नम्बर 73 रकबा 4.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 रकबा 2.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 75 रकबा 2.58 हैक्टर कुल रकबा 9.23 हैक्टर कृषि भूमि सह खातेदारी में दर्ज चली आ रही है व मौके पर सभी अपने–अपने बंट की भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है तथा उसी अनुसार मौके पर बंटवारा कर रखा है एवं प्रार्थी अपने बंट की सम्पूर्ण भूमि मौके पर खसरा नम्बर 6 में भूमि रकबा 2.21 हैक्टर पर काबिज चला आ रहा है। उपर्युक्त भूमि में प्रार्थी का 2.2782 हैक्टर भूमि पर काबिज रिकार्डेड खातेदारी अधिकार दर्ज चला आ रहा है जिस पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता आ रहा है, उपर्युक्त भूमि में से मौके पर प्रार्थी का हिस्सा 2.2782 हैक्टर भूमि मौके पर प्रार्थी खसरा नम्बर 6 रकबा 3.67 हैक्टर में से 2.21 हैक्टर दक्षिणी तरफ काबिज चला आ रहा है मौके पर काफी वर्षो पूर्व बंटवारा किया हुआ है व मौके पर काबिज खसरा नम्बर 6 में एक ही चक में चला आ रहा है जिसमें सरकारी अनुदान में प्याज गोदाम बना हुआ है, ट्यूब वैल व दो कमरे बनाकर प्रार्थी रहवास करता आ रहा है एवं शेष रकबा 0.08 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 73, 74, 75 में स्थित चली आ रही है, जो सहखातेदारी की रहेगी। प्रार्थी उपर्युक्त भूमि में से मौके पर अलग बंटवारा करके अपने बंट की भूमि का उपयोग उपभोग कृषि कार्य करते आ रहे है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में शामलाती दर्ज चली आ रही है, मौके पर अलग–अलग बंटवारा कर [illegible] जिसको प्रार्थी अपने बंट व हक हिस्से की भूमि का अलग जोत [illegible] है जिससे बंटवारा को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद [illegible] नहीं हो [illegible] उपर्युक्त भूमि में से प्रार्थी के बंट व हक हिस्से की भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी [illegible] हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.10.22 15:51:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

कर बेदखल करने की धमकी दी, यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थी के हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा, अनावश्यक मुकदमे बाजी बढ़कर बर्बादी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयो इत्यादि से कभी नही हो सकती, इसलिए प्रार्थी के हितो की सुरक्षार्थ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र लाना आवश्यक हुआ। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक-हिस्से व कब्जा काश्त व अधिकारो की भूमि पर कब्जा कर बदेखल की धमकी देने व अतिक्रमण कर बेचान करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति कतई सम्भव नही है, इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि उपरोक्त खसरान में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का बिना किसी विधिवत भू-विभाजन के दखल इत्यादि नही डाले व कच्चा पक्का निर्माण नही करे व उपयोग-उपभोग में बाधा नही डाले न ही जबरन कब्जा इत्यादि करे, अप्रार्थी संख्या 28 उक्त भूमि का किसी प्रकार का बेचान, हस्तान्तरण, बख्शीश, रहन इत्यादि के दस्तावेज स्वीकार नही करे, अप्रार्थी संख्या 35 मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश ताफैसला वाद सादिर फरमावें।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9, 10 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, जिन्हे जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब प्रार्थना-पत्र अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 6, 11 से 35, बावजूद इत्तला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 243, 320 ग्राम चावण्डिया की नकल प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया, अप्रार्थी वकील ने बहस दौरान बताया कि वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी में दर्ज है तथा जब तक बंटवारा नही हो जाता प्रत्येक खसरान की भूमि पर सभी खातेदारो का कब्जा काश्त माना जाता है तथा सहखातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी नकल सम्वत 2073-2076 ग्राम चावण्डिया के खाता संख्या 243 खसरा नम्बर 14, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 6, 76, 77, 78 कुल रकबा 29.47 हैक्टर में प्रार्थी के अलावा अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज है, खाता संख्या 320 खसरा नम्बर 73, 74, 75 कुल रकबा 9.23 हैक्टर में प्रार्थी के अलावा अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से सहखातेदार दर्ज है। वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य एक वाद विचाराधीन है जिसमें बंटवारा को लेकर विवाद विचाराधीन है तथा जब तक बंटवारा नही हो जाता तब तक किसी भी भू-भाग पर किसी भी पक्षकार का कब्जा का त नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति को लेकर प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.10.22 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

एवं अप्रार्थी संख्या 7 ने अपना अपना कब्जा का त होना वाद पत्र में बताया है, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न है। प्रथम दृश्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू पर विचार करने पर न्यायालय का मत है कि किसी भी तरह से तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है, चूँकि प्र नगत भूमि सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा विभिन्न न्यायालयो द्वारा न्यायिक दृश्टांत जारी किये गये है कि सह खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार से अस्थाई निशेधाज्ञा जारी करना न्यायिक दृश्टिकोण से उचित है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नही होने से काबिल खारिज है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नही होने से खारिज किया जाता है

आदेश आज दिनॉक 07/08/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हुक्मीचन्द रोहलानियॉ RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.10.22 15:51:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner